	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, गुरूवार, शाके 1947 - दिसम्बर 18, 2025 Agrahayana 27, Thursday, Saka 1947- December 18, 2025	

भाग-4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 18, 2025

No. F.4(4)Vidhi/2/2025.- The following Ordinance made and promulgated by the Governor of the State of Rajasthan on the 17th day of December, 2025 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(Ordinance No. 3 of 2025)

(Made and promulgated by the Governor on the 17th day of December, 2025)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In the definition of “apprentice” in section 2 of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Act No. 31 of 1958), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression “a person, aged not less than twelve years”, the expression “a person, aged not less than fourteen years” shall be substituted.

3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 7 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "nine hours", the expression "ten hours" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the existing expression "exceed fifty", the expression "exceed one hundred forty four" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "twelve and fifteen", the expression "fourteen and eighteen" shall be substituted.

4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 9 of the principal Act, for the existing word "five", wherever occurring, the word "six" shall be substituted.

5. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 21of the principal Act, for the existing word "twelve", the word "fourteen" shall be substituted.

6. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 31 of 1958. - In section 22 of the principal Act, for the existing expression "child between the ages of 12 and 15", the expression "child between the ages of fourteen and eighteen" shall be substituted.

हरिभाऊ किसनराव बागडे,
Governor of Rajasthan.

सुरेश चन्द बंसल,
Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 18 दिसम्बर, 2025

संख्या प.4(4)विधि/2/2025.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान शोप्स एण्ड कोमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट्स (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 3)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(2025 का अध्यादेश संख्यांक 3)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यत:, राजस्थान राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अत: अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2(1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 की,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "नौ घंटों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस घंटों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ चवालीस से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह और पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

4. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी आये विद्यमान शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "छह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में, विद्यमान शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह से पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी।

हरिभाऊ किसनराव बागडे,
राज्यपाल, राजस्थान।

सुरेश चन्द बंसल,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।